



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**(उ०प्र० सरकार का उपकम)**  
**शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ**  
**CIN : U32201UP1999SGC024928**

संख्या: ५७—अ०प्र०(२अ) / पाकालि / २०१७

दिनांक ३०.६. २०१७

**कार्यालय ज्ञाप**

कारपोरेशन हित में एतदद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित कार्यालय/निगम में तैनात/आवंटित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान पद एवं तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री योगेन्द्र पाल सिंह /८६०७९/ अलीगढ़/३०.०४.२०१८	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, दिविविनिलि, कानपुर	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (का०ज्ञ०सं०५३—अ०प्र०(२अ) / पाकालि / १७ दिं ३०.०६.१७ के कम संख्या ८ में आंशिक संशोधन)
2-	उपरोक्त को मुख्य अभियन्ता, स्तर-०२, (वै० एवं यां०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम मुख्य अभियन्ता, स्तर-०२, स्वतः अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं यां०) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।		
3-	उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।		
4-	उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।		
5-	नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०—गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आद्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।		
6-	निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।		

**प्रबन्ध निदेशक**

संख्या: ५७—अ०प्र०(२अ) / पाकालि० / २०१७ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- मा० ऊर्जा मंत्री/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- २- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ३- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ४- समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ५- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- ६- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०सिस्टन का०लि०।
- ७- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ८- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ९- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

( अरुण कुमार राय )  
 उप सचिव (२अ)